न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —206/2019

अनवान : —

1. संदीप कुमार पुत्र महेन्द्र सिह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

— वादी

ब ना म

1. महेन्द्रसिंह पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
2. कुलदीप पुत्र महेन्द्र सिह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 89राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :—श्री मुंशीराम गोस्वामी वकील **वादी**
श्री सुरजीत बिजारणिया वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 25/02/2020

वादीगण के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 15 ऐेएमएस के वर्तमान खाता संख्या 80/72 के मु0 न0 19 के किला न0 1 ता 3, 8 व 9/1 मु0 न0 20 के किला न0 3 ता 8 कुल किता 11 की कुल भूमि 2.656है0 नहरी खातेदारी, प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा गोपीराम की खातेदारी हुआ करती थी। गोपीराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी महेन्द्रसिह के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी महेन्द्रसिंह कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी महेन्द्रसिह अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 2 एवं वादी ने न्यायालय मे उपस्थित हेाकर अपना राजीनामा पेश किया। राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी संदीप कुमार पुत्र महेन्द्रसिह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबंदी चक 15 ऐेएमएस संवत 2072 जो प्रदर्श 1, जमाबदी भू

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

प्रबंध विभाग प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत साहूवाला प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 15 ऐंएमएस के वर्तमान खाता संख्या 80/72 के मु0 न0 19 के किला न0 1 ता 3, 8 व 9/1 मु0 न0 20 के किला न0 3 ता 8 कुल किता 11 की कुल भूमि 2.656है0 नहरी खातेदारी भूमि जो प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है उसकी बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच राजीनामा हुआ है इसलिए वाद भूमि में वादी संदीप कुमार व प्रतिवादी कुलदीप को 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार मुताबिक राजीनामा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही मोजा चक 15 ऐंएमएस के वर्तमान खाता संख्या 80/72 के मु0 न0 19 के किला न0 1 ता 3, 8 व 9/1 मु0 न0 20 के किला न0 3 ता 8 कुल किता 11 की कुल भूमि 2.656है0 नहरी खातेदारी भूमि जो प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है उसकी बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच राजीनामा हुआ है इसलिए वाद भूमि में वादी संदीप कुमार व प्रतिवादी कुलदीप को 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार मुताबिक राजीनामा खातेदार काश्तकार है। तथा शेष 3/4 हिस्सा का प्रतिवादी महेन्द्र सिंह खातेदार काश्तकार है। वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 के नाम दर्ज होने वाली 1/4 हिस्सा भूमि यदि रहन हो तो रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/02/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ (राज.)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
RAS
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकरी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —206/2019

अनवान : —

1. संदीप कुमार पुत्र महेन्द्र सिह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा। — वादी

ब ना म

1. महेन्द्रसिंह पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
2. कुलदीप पुत्र महेन्द्र सिह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा। :— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण सुरजीत बिजारणिया की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही रोही मोजा चक 15 ऐएमएस के वर्तमान खाता संख्या 80/72 के मु0 न0 19 के किला न0 1 ता 3, 8 व 9/1 मु0 न0 20 के किला न0 3 ता 8 कुल किता 11 की कुल भूमि 2.656है0 नहरी खातेदारी भूमि जो प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है उसकी बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच राजीनामा हुआ है इसलिए वाद भूमि में वादी संदीप कुमार व प्रतिवादी कुलदीप को 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार मुताबिक राजीनामा खातेदार काश्तकार है। तथा शेष 3/4 हिस्सा का प्रतिवादी महेन्द्र सिंह खातेदार काश्तकार है। वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 के नाम दर्ज होने वाली 1/4 हिस्सा भूमि यदि रहन हो तो रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि मे वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.16 13:30:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: